जाँच आख्या

दिनाँकः अप्रैल 16, 2025

आवेदक । शिकायतकर्ता का नाम,पता व मोवा0 न0	श्रीमती उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल बागला निवासी 8 / 9 सेक्टर नं0 3, राजेन्द्र नगर साहिबाबाद जिला गाजियाबाद मो0न0 9873161701, 7011913551 श्रीमती अचर्ना बागला पत्नी महेन्द्र बागला निवासी 26,70 बिरहाना रोड कानपुर नगर हाल 7,68 रतन गाडिनेयर, तिलक नगर कानपुर नगर मो0न0 9415044996 मकान संबंधी विवाद उ0नि0 रजनीश पाल मो0न0 9911816481		
विपक्षी का नाम पता व मो० न०			
शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण			
जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद			
घटना स्थल के निरीक्षण का दिनाँक	15.04.2025 अक्षांश 26.463670 देशांतर 80.357179		
शिकायतकर्ता का बयान	+1 V		
आरोपी का बयान			
निष्पक्ष स्वतन्त्र साक्षियों का बयान	•		
अभिलेखीय साक्ष्य	-		

जाँच का साराशं- शिकायती पत्र मे जिन आरोपो / शिकायतो का उल्लेख किया गया है उन पर विन्दुवार आख्या: महोदय,

श्रीमान जी निवेदन है कि उपरोक्त संलग्नक आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ उ0नि0 द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि भवन सं0 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर की पूर्व स्वामिनी स्व० दुर्गा देवी पत्नी स्व0 लाला घूमीलाल बागला थी। जिनके द्वारा मृत्यु से पूर्व वसीयत कराई गयी जिसमें भवन के प्रथम खण्ड व तृतीय खण्ड को अपने पुत्र राधाकृष्ण बागला की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी व उसके पुत्रगण अनिल, अजय, राजदीप को दिया गया। इसी प्रकार भूमि खण्ड तथा द्वितीय खण्ड को अपने पुत्र श्रीकृष्ण बागला की धर्मपत्नी श्रीमती श्यामलता देवी व उनके पुत्र गण आलोक, महेन्द्र, मनोज को दिया गया है। इस प्रकार विवादित भाग में विक्रेता उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल बागला अपने पति के 1/4 हिस्से की मालिक हुई वर्ष 2019 में श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा एक गिफ्ट डीड द्वारा अपना 1/4 भाग अपने पुत्र अजय बागला को कर दिया। दिनांक 01.02.2025 को उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल बागला द्वारा हेमन्त बागला पुत्र महेन्द्र बागला व आवेदिका अर्चना बागला को अपने हिस्से 1 / 4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की रजिस्ट्री करा दी गयी है। दोनों पक्ष वर्तमान समय में भवन सं0 26/70 में निवास नहीं कर रहे है। अनिल की पत्नी उमा वर्तमान समय में अपनी पुत्री के पास म0न0 8/9 राजेन्द्र नगर सेक्टर 3 ब्लाक 8 साहिबाबाद जिला गाजियाबाद में निवास कर रही है जिनसे जरिये दूरभाष नं0 7011913551 पर वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मै वृद्ध महिला हूँ मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है प्रकरण के सम्बन्ध में बताया कि मेरी सास लक्ष्मी देवी द्वारा अपने हिस्से का 1 / 4 भाग मेरे देवर अजय बागला को कर दिया गया था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मैं जल्द ही कानपुर आंकर आपके समक्ष उपस्थित होऊँगी, अर्चना बागला रिस्ते में मेरी देवरानी लगती है परिवार की सम्पत्ति अविभाजित है, किसी का कोई वटवारा नहीं है। इस समय संबंध में अजय बागला जो उमा बागला के सगे देवर है द्वारा सिविल जज कानपुर नगर सीडी कानपुर नगर में वाद सं0 267/2025 अजय बागला आदि बनाम 1. उमा बागला 2. अर्चना बागला 3. हेमंत बागला दाखिल किया गया है। श्रीमान जी उपरोक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है.सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है व पेशबंदी में प्रार्थना सिविल मामले को क्रिमिनल रूप देने हेतु प्रार्थना पत्र दे रहे है। प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय से अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही हो रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

आरोप सिद्ध हो रहे है या नही	निल	
पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण	उपरोक्त	
अन्य कोई तथ्य	निल	^ -

प्रभारी निर्देशक थाना फीलखीना कानपुर नगर

नाडल अधिकारी IGRS थाना फीलखाना कानपुर नगर (र**जनीश पाल)** उपनिरीक्षक

16/04/25

थाना फीलखाना कानपुर नगर



